कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहण्डीगुड़ा जिला—बस्तर (छ.ग.)

Email-govtmodelcollegejdp@gmail.com **AISHE Code C-71013**

क्रमांक 73/स्था./2025 लोहण्डीगुड़ा, दिनांक 28/07/2025

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025 एवं छ.ग. शासन. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक File No. :ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025 के अनुसार **नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहण्डीगुड़ा, जिला – बस्तर (छ.ग.)** में निम्नलिखित विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि कीड़ा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 05/08/2025 को सायं 5:30 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहण्डीगुड़ा, जिला – बस्तर (छ.ग.), पिन कोड – 494010** में दिनांक 05/08/2025 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा

क्र.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहा. प्राध्यापक / कीड़ा अधिकारी
1	अंग्रेजी	01
2	प्राणी शास्त्र	01
3	गणित	01
4.	भौतिक विज्ञान	01
5.	वाणिज्य	01
6.	कीड़ाधिकारी	01

टीप :– सम्बंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

नोट :– महाविद्यालय के विज्ञापन क्र. 32/स्था./2025 लोहण्डीगुड़ा, दिनांक 16/06/2025 के अनुसार जिन प्रतिभागियों द्वारा आवेदन भेजा जा चूका हैं, वह पुनः आवेदन न भेजे।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ता :–

01. अतिथि व्याख्याता, अतिथि कीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्तियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

02. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि कीडा अधिकारी अधिकतम 62 वर्ष तक।

03. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

शर्तें :–

04. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट , एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

05. दिनांक **05/08/2025** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्तिथ होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी ।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **11/08/2025** को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सुचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर सम्बंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा. वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जाएगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **14/08/2025** तक होगी ।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **20/08/2025** को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि सम्बंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत सम्बंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है , तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :

क.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40 –45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40 –45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400 / –	300 / –
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / – (41600 / – प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / – (30000 / – प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500 / –	350 / –
4	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / – (50000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / – (35000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	**विवरण**	**अतिथि कीड़ा अधिकारी**	**अतिथि कीड़ा सहायक**
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्युनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 / – (40000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / – (30000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहण्डीगुड़ा, महिला क्लस्टर भवन उसरीबेड़ा, लोहण्डीगुड़ा , जिला – बस्तर (छ.ग.), पिन कोड – 494010** एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे ।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलाएंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसकी कार्यवाही सम्बंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशओं का पालन करना अनिवार्य होगा ।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियों युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मुल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा शिकायतों प्राप्त होती है तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय
लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय
लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर